न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 199/2020

सुखदेवसिह पुत्र प्यारासिह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम्

1.मोहनसिह, 2.रामसिह } पि0 प्यारासिह
3.निहालकौर, 4.सीतोकौर } पुत्रीयॉ प्यारासिह
} जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

5.धर्मेन्द्र पुत्र भागवन्ती पत्नी रामनारायण जाति बावरी निवासी खाट सजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

6.सोनादेवी पुत्री भागवन्ती पत्नी भागसिह जाति बावरी निवासी किकरवाली जोहड़ी तहसील

7.रिछपाल पुत्र जयकौर पत्नी चननसिह जाति बावरी निवासी खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

8.रेशमांदेवी पत्नी जसविन्द्रसिह पुत्री जयकौर जाति बावरी निवासी किकरवाली जोहड़ी तहसील

9.तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री बनवारीलाल गौड़ अधिवक्ता वादी
श्री रुपराम कासनियां अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 06.01.2021

वादी सुखदेवसिह ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के पिता, प्रतिवादीगण सं0 5 ता 8 के नाना, प्यारासिह के नाम से चकनं0 1 एसबीएन के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खातासं0 80/78 में कुल 4.301 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 का पिता, प्रतिवादी सं0 4 ता 8 का नाना प्यारासिह फौत हो चुका है व वादी व प्रतिवादीसं0 1 ता 4 की माता व प्रतिवादीगण सं0 5 ता 8 की नानी दानोकौर फौत हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण सं0 5 व 6 की माता भागवन्ती तथा प्रतिवादी सं0 7 व 8 की माता जयकौर भी फौत हो चुकी है जिसके जायज व कानूनी वारीसान रिकार्ड पर है। प्यारासिह के मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र, जयकौर व भागवन्ती के मृत्यू प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी पेश है। वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी का प्यारासिह के जीवनकाल में ही उपरोक्त वर्णित आराजी का घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में प्यारासिह के जीवनकाल में ही प्रतिवादीगण सं0 3 ता 4 तथा प्रतिवादीगण सं0 6 ता 8 की माता

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

भागवन्ती तथा जयकौर ने अपने अपने हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी व प्रतिवादीसं0 1 ता 2 के पक्ष में ब0हि0ब0 कर दिया था। वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के कब्जा काश्त में व0हि0व0 दर्ज चली आ रही है। जिस पर वादी व प्रतिवादीसं0 1 व 2 अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाते चले आ रहे है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में आराजी वादी व प्रतिवादीसं0 1 व 2 के नाम से ब0हि0ब0 दर्ज नही होने से तथा खाता हाजा में प्यारासिह का नाम दर्ज रहने से वादी व प्रतिवादीसं0 1 व 2 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम से ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर चकनं0 1 एसबीएन के खाता सं0 80/78 में से प्यारासिह का नाम कलमजन करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी वादी व प्रतिवादीसं0 1 व 2 के नाम से ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने सहमति का जबाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादी व हम प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 का पिता, प्रतिवादी सं0 4 ता 8 का नाना प्यारासिह फौत हो चुका है व वादी व प्रतिवादीसं0 1 ता 4 की माता व प्रतिवादीगण सं0 5 ता 8 की नानी दानोकौर फौत हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण सं0 5 व 6 की माता भागवन्ती तथा प्रतिवादी सं0 7 व 8 की माता जयकौर भी फौत हो चुकी है जिसके वादी व हम प्रतिवादीगण ही जायज व कानूनी वारीसान है।वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी का प्यारासिह के जीवनकाल में ही उपरोक्त वर्णित आराजी का घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में प्यारासिह के जीवनकाल में ही हम प्रतिवादीगण सं0 3 ता 4 तथा हम प्रतिवादीगण सं0 6 ता 8 की माता भागवन्ती तथा जयकौर ने अपने अपने हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी व प्रतिवादीसं0 1 ता 2 के पक्ष में ब0हि0ब0 कर दिया था। वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के कब्जा काश्त में ब0हि0ब0 दर्ज चली आ रही है। जिस पर वादी व प्रतिवादीसं0 1 व 2 अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाते चले आ रहे है। मुझ प्रतिवादीया सं0 3 ने इसलिए वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज प्रतिवादीसं0 1 के नाम की आराजी के वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 1 एसबीएन के खाता सं0 80/78 में से प्यारासिह का नाम कलमजन किया जाता है तो तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। जबाबदावा के साथ पक्षकारान के आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई व वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में स्वंय का शपथं पत्र पेश किया तथा वारिसनामा बाबत स्टाम्प पेश किया गया स्टेट की ओर से अपना जबाब पेश किया गया।

बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादीगण का आपस में घरू बटवारां किया हुआ है, जिसको प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाबदावा में स्वीकार किया है। वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। वादी के वाद को प्रतिवादीगण ने अपने जबाबदावा में मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के बाद दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा, शपथपत्र, वारिसनामा, मृत्यू प्रमाण पत्र प्यारासिह,जयकौर व भागवन्ती आदि का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीसं0 1 ता 4 के पिता तथा प्रतिवादीगण सं0 4 ता 8 के नाना प्यारासिह के नाम से दर्ज है।वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है।पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। सहमति का जबाबदावा पेश होने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है।वादी अपना वाद

उपखण्ड अधिकारी दिल्ली

दस्तावेज व सहमति के आधार पर साबित करने में सफल रहा है।उपरोक्त मतानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि प्यारासिह के नाम से दर्ज वाके चकनं0 1 एसबीएन के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खातासं0 80/78 में कुल 4.301 है0 आराजी के वादी व प्रतिवादीसं0 1 व 2 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 1 एसबीएन के खाता सं0 80/78 में से प्यारासिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

डिक्री वमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 111 / 2020

सुखदेवसिह पुत्र प्यारासिह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

वनाम्

1.मोहनसिह } पि0 प्यारासिह
2.रामसिह }
3.निहालकौर } पुत्रीयॉ प्यारासिह
4.सीतोकौर }

जाति बावरी निवासी सावुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

5.धर्मेन्द्र पुत्र भागवन्ती पत्नी रामनारायण जाति बावरी निवासी खाट सजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

6.सोनादेवी पुत्री भागवन्ती पत्नी भागसिह जाति बावरी निवासी किकरवाली जोहड़ी तहसील

7.रिछपाल पुत्र जयकौर पत्नी चनसिह जाति बावरी निवासी खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

8.रेशमांदेवी पत्नी जसविन्द्रसिह पुत्री जयकौर जाति बावरी निवासी किकरवाली जोहड़ी तहसील

9.तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोवरू हमारे वहाजरी श्री बनवारीलाल गौड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री रुपराम कांसनिया प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है किप्यारासिह के नाम से दर्ज वाके चकनं0 1 एसबीएन के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खातासं0 80/78 में कुल 4.301 है0 आराजी के वादी व प्रतिवादीसं0 1 व 2 को व0हि0व0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 1 एसबीएन के खाता सं0 80/78 में से प्यारासिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे।

निज...x.....निल...x.....मुब्लिक.x....निल.....x....वावत्.....x.....निल....x.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....x.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 06.01.2021 को जारी किया गयां।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी